

तारीख  
हुकम

07  
08/21

कमील प्रार्थना के आदेश पर फर  
जावली आज पेश हुई। अर्थात् सं. 1 व 2  
तथा प्रार्थना के कमील अर्थात् प्रार्थना  
की ओर से एक आदेश इस आशय का  
प्रस्तुत किया कि वे इस आदेश का  
आगे चलाना नती चारने है, जारिये डिप्टी  
जोरिज करे का निवेदन किया।

अ.नि.  
शंकराराम

वेदनाराम  
अधी अधिवक्ता  
विशेष सं. 34  
S. S. S.

Adm.

उपरोक्त प्रकरण मय कमील के  
द्वारा राम। फजावली का अवलोकन किया  
गया। एक तथ्यो एक फजावली के  
अवलोकन के द्वारा होता है कि कमील  
प्रार्थना इस प्रकार के आगे चलाना  
नती चारने है।

आज यह प्रकरण करिये डिप्टी  
जोरिज किया जाता है प्रकरण के  
द्वारा अंतरिम आदेश विधि बाह्य में  
07.02.20 जारिज की जाती है।

फजावली हुकम फिले होकर  
द्वारा दफ्त है।

सहायक जज  
(SDO) बाहमे